छत्तीसगढ़ विधान सभा

चतुर्थ विधान सभा - एकादश सत्र

(दिनांक 27 फरवरी, 2017 से 28 अप्रैल, 2017 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	61 दिन
बैठकों की संख्या	22
प्रश्नों पर चर्चा	18 घंटे 26 मिनट
तृतीय अनुपूरक	03 घंटे
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	10 घंटे 56 मिनट
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा	03 घंटे 35 मिनट
विनियोग विधेयक	06 घंटे 35 मिनट
अनुदान मांगों पर चर्चा	64 घंटे 43 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	144 घंटे 25 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	3145
तारांकित प्रश्न	1643
अतारांकित प्रश्न	1502
ग्राह्य तारांकित	1037*
ग्राह्य अतारांकित	988*
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	2025
सदन में उत्तरित	210

* ग्राह्य तारांकित में 03 ब्रकेट हुए प्रश्नों को तथा ग्राह्य अतारांकित में 01 ब्रकेट हुए प्रश्न को सम्मिलित कर।

नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

प्राप्त सूचनाएं	03
ग्राह्य	00
अग्राहय	03

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	08
सदन में पारित	08 (दो विनियोग विधेयक सहित)

नियम 139 की सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	05
लंबित	03
अग्राहय	02
सदन में चर्चा	निरंक

विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचना	08
अग्राह्य सूचना	08

स्थगन प्रस्ताव

प्राप्त सूचनाएं	344
अग्राह्य	212
वक्तव्य पश्चात् अग्राह्य	107 (3 विषय पर)
ग्राह्य	25 (1 विषय पर)

अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अध्यादेश	02
पटल पर रखे गये	02

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

प्राप्त सूचनाएं	594
ग्राह्य	138
अग्राह्य	423
शून्यकाल में परिवर्तित	33

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	138 (ध्यानाकर्षण से 33 प्राप्त)
ग्राह्य	56
अग्राह्य	82

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	30
ग्राह्य	04
अग्राह्य	26
सदन में पारित संकल्प	02
सदन में चर्चा उपरांत वापस	निरंक
अस्वीकृत	01
व्यपगत	01

शासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	01
सदन में पारित	01

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	160
ग्राह्य	08
अग्राह्य	152
सदन में प्रस्तुत	05
व्यपगत	03

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	12
पटल पर रखे गये	12

अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

प्राप्त सूचना	01
सदन में अस्वीकृत	01

वित्तीय कार्य

वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन एवं पारण

वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक का उपस्थापन, सामान्य चर्चा, विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा

प्राप्त प्रतिवेदन	32
पटल पर रखे गये	32

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्यमंत्रणा समिति	01
2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति	01
3. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का समय निर्धारण संबंधी	02
4. प्राक्कलन समिति	01
5. प्रत्यायुक्त विधान समिति	03
6. याचिका समिति	01
7. पटल समिति	03

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

1. छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-2017
2. छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए :-
   - (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-1)
   - (ii) सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-2)
   - (iii) राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-3)
   - (iv) राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या-4)
3. वर्ष 2016-17 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	माननीय सदस्यों को सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से 168 साहित्य तथा संदर्भ शाखा से विभिन्न विषयों पर 121 संदर्भ उपलब्ध कराए गए
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट	सत्र अवधि की दौरान सभा मे प्रस्तुत किए जाने वाले 132 पीडीएफ फाईल्स में 10040 पृष्ठों की सामग्री “ई-विधान”* के माध्यम से वेबसाईट पर उपलब्ध करायी गयी। सत्रावधि में 25315 विजिटर्स ने विधानसभा की वेबसाइट का अवलोकन किया।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश पत्र	कार्यालय द्वारा 3000 सेवा प्रवेश पत्र, 12100 परिसर, 2000 अध्यक्षीय दीर्घा, 6900 प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा एवं 8800 दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी किए गए।
छत्तीसगढ़ विधान सभा का भ्रमण/कार्यवाही का अवलोकन	शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं एवं प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 4621 लोगों ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया। आरंभ से लेकर आज दिनांक 28.4.2017 तक हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत/ सहकारिता के लगभग 60325 जनप्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया। बजट सत्र में 3691 पंचायत/सहकारिता जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा का भ्रमण किया गया तथा 17700 नागरिकों ने भी विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया।